

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

### अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2023/82156/MTH/MATHURA/2166/CFO**

दिनांक: **11-05-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RATAN LAL PHOOL KATORI DEVI SR SEC SCHOOL SARASWATI BALIKA VIDHYA MANDIR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **OLD KHASRA NO-5,1 AND 90 NEW KHASRA-34,35,36,37,25,MAUJA-BAKALPUR AND GIRDHARPUR GOVERDHAN ROAD,MATHURA** तहसील - **MATHURA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SENIOR WING	3	0	10.95 mt.
PRT	3	0	10.95 mt.
JUNIOR WING	4	0	14.60 mt.

तथा प्लॉट एरिया **33582.55 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **RATAN LAL PHOOL KATORI DEVI SR SEC SCHOOL SARASWATI BALIKA VIDHYA MANDIR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **05-06-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANIL GUPTA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-06-2023** से **07-06-2026** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"**

**Note :** In view of the recommendation reports of FSO. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र मानचित्र मे इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है फायर उपकरणों का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा ,शासनादेश सं0-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016 टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि(बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**NARENDRA PRATAP SINGH**

DD6CB06BD3E6F9ABD467DA98CC4D7C67FC311E26

08-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **08-06-2023**

स्थान : **MATHURA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

